रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 790] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2003/भाद्र 7, 1925
No. 790] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2003/BHADRA 7, 1925

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2003

का.आ. 996(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं0 का0आ0 670(अ), तारीख 19 जुलाई, 2000 द्वारा ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 बनाए थे ;

और उक्त नियमों में अधिसूचना सं0का0आ0 1283(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2001 द्वारा संशोधन किया गया है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह आवश्यक और समीचीन है कि अधीनस्थ विधायन संबंधी राज्य सभा समिति की कतिपय सिफारिशों के अनुपालन में उक्त नियमों का संशोधन किया जाए ;

और पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) में यह उपबंध है कि उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब कभी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है तो यह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी ;

और केन्द्रीय सरकार यह राय है कि ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा को अभिमुक्त करना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2003 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में,-

(क) नियम 2 के खंड (ज) के उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

(i) विक्रय, वितरण या उपयोग करने की दृष्टि से किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के बनाने, उसमें परिवर्तन करने, परिसाधित करने, पैक करने, लेबल लगाने, सम्मिश्रित करने या अन्यथा उपचारित करने की कोई प्रक्रिया या प्रक्रिया का भाग आता है किन्तु इसके अंतर्गत फुटकर कारबार के सामान्य अनुक्रम में किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ को पुनः पैक करना या खंडित करना नहीं आता है ; और

(ख) नियम 13 में, उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(8) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन का अनुसूची 5 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरी द्वारा ऐसे सम्पूरित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटान किया जाएगा ।

(9) अनुसूची 5 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट संबद्ध रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी रजिस्ट्री धारक को उसके द्वारा दी गई कारण बताओ सूचना की तामील की तारीख से साठ दिन के भीतर इन नियमों के अधीन अनुदत्त किसी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के मुद्दे का विनिश्चय करेगा।"।

[फा. सं. 16/1/96-ओसी]
आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- ओज़ोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-(II), खंड-3, उपखंड-(ii) में अधिसूचना संख्या - का. आ. 670 (अ) तारीख 19 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात में अधिसूचना संख्या - का. आ. 1283 (अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2001 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2003

S.O. 996(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sections 6,8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), made the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000 *vide* notification number S.O. 670(E) dated the 19th July, 2000;

And whereas the said rules have been amended *vide* notification number S.O.1283 (E), dated the 31st December, 2001;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said rules in compliance with certain recommendations of the Rajya Sabha Committee on Subordinate Legislation;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of Environment Protection Rules, 1986 provides that, notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of Environment (Protection) Rules,1986;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000,-

(a) in rule 2, in clause (h), in sub-clause (i), for the words "treating or any ozone depleting substance", the words "treating of any ozone depleting substance" shall be substituted;

(b) in rule13, after sub-rule (7), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(8) Every application for registration or renewal of registration under these rules shall be disposed of within sixty days from the date of receipt of such complete application by the authority specified in column (4) of Schedule V.

(9) The concerned registering authority specified in column (4) of Schedule V shall decide the issue of cancellation of any registration granted under these rules within sixty days from the date of service of the show cause notice given by him to the registration holder."

[F. No. 16/1/96-OC]

R. CHANDRAMOHAN, Jt. Secy.

Note :— The Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000 were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O.670(E) dated the 19th July, 2000 and subsequently amended *vide* notification number S.O.1283 (E), dated the 31st December, 2001.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.